<u>न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.)</u>

क्रमांक 415 / सीजेएम / 2023 मुरैना दिनांक 10 / 04 / 2023

:::: आपराधिक कार्य विभाजन आदेश ::::

(अन्तर्गत धारा 14 व 15 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

मैं पुंजिया बारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय क्रमांक 02 की धारा 14 एवं 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक जिला मुरैना में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन से संबंधित पूर्व में जारी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये निम्नलिखित नवीन आपराधिक कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना के अनुमोदन के पश्चात् दिनांक ..../04/2023 से लागू होकर आगामी आदेश पारित होने तक प्रभावशील रहेगा।

क.	मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्रीय अधिकारिता	कार्य एवं प्रकरणों का विवरण
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.)	**सम्पूर्ण न्यायिक जिला–मुरैना**	1– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत अभियुक्तों के वादा माफी के प्रकरण, जिसमें अभियुक्त को साक्षी बनाया गया हो। 2– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 (1)(बी) के अन्तर्गत जिला मुरैना के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद पत्र। 3– धारा 322, 325 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे जाने वाले प्रकरण। 4– खारिजी प्रकरण (ई.आर.) 5– क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर0टी0ओ0) से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना द्वारा समय–समय पर सोंपे जाने वाले प्रकरण।
		आरक्षी केंद्र :– 1. बानमौर मुरैना, 2. यातायात मुरैना 3. आबकारी वृत्त मुरैना	1. आरक्षी केन्द्र बानमौर, यातायात व आबकारी वृत्त मुरैना से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/आवेदन पत्र/परिवाद पत्र, जिनमें धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, निजी परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन पत्र सम्मिलित नही है। **(ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खान एवं खनन अधिनियम, अनु.जाति अनु.जनजाति अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केंद्रो के क्षेत्राधिकार के मामलों के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, सिटी कोतवाली मुरैना, बानमौर, सरायछौला, माताबसैया, स्टेशन रोड़, नूराबाद, दिमनी(मुरैना क्षैत्र), रिठौराकलां, सिहोंनियां (मुरैना क्षैत्र), जी.आर.पी. से उत्पन्न **आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)** से संबंधित प्रकरण।

			4. **खान एवं खनिज** (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 व अन्य सभी खनन संबंधि विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण, आवेदन पत्र व समस्त प्रकार की कार्यवाहीं।
		संपूर्ण मुरैना तहसील	1– छोटे अपराधों के अभियोग पत्र जिनमें दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 206 में उल्लेखित 1,000/–रूपये से आनाधिक अर्थदण्ड से दंडनीय हैं, से उत्पन्न अभियोग पत्र परिवाद जो मोटरयान अधिनियम से संबंधित नहीं है। 2– बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण। 3– बांट एवं माप मानक अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण। 4– चलचित्र अधिनियम 1952 के अन्तर्गत प्रकरण। 5– खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 एवं विनियम 2011. 6– मनोरंजन कर अधिनियम 1936 संशोधन अधिनियम 1942 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 7– म.प्र. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत पेश होने वाले प्रकरण। 8– मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पद्वार्थ अधिनियम–1985 की धारा 27 में गजट नोटिफिकेशन कमांक–09 (2001) दिनांक 09.05.01 निर्धारित की गई मात्रा के प्रकरण। 9– प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 10– प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 11– आवश्यक वस्तु अधि. के तहत पेश प्रकरण। 12– कारखाना अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 13. नगर पालिका अधिनियम से उत्पन्न 14– माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले प्रकरण ।
2	श्री निर्भय कुमार गरवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना म.प्र.	**आरक्षी केंद्र 1–सरायछौला 2–रिठौरा कलां**	1– आरक्षी केन्द्र सरायछौला व रिठौरा कलां से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 138 पराकम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)

			3. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52—क के तहत कार्यवाही 4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले प्रकरण। <u>वन विभाग</u> 5. तहसील मुरैना के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं वन विभाग से उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं अन्य सभी वन संबंधि विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण, आवेदन पत्र व समस्त प्रकार की कार्यवाहियों के विचारण एवं निराकरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है। **6.** ग्राम न्यायालय से संबंधित आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र व आवेदन पत्र।
3	श्री मनीष कुमार पारीक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना म.प्र.	**आरक्षी केन्द्र—** **1—सिटी कोतवाली मुरैना**	1— आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली मुरैना से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसमें धारा—138 पराकम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खान एवं खनन अधिनियम, अनु.जाति अनु.जनजाति अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)** 2— कथित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय—समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52—क के तहत कार्यवाही
4	सुश्री नुरून निशा अंसारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना म.प्र.	**1— महिला थाना मुरैना** **आरक्षी केन्द्र :—** **1. क्षेत्रान्तर्गत**	1— आरक्षी केन्द्र महिला थाना मुरैना से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 138 पराकम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खान एवं खनन अधिनियम व अनु.जाति अनु.जनजाति अधिनियम से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)** 2— कथित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3— आरक्षी केन्द्र कोतवाली, सिविल लाईन, स्टेशन

		मुरैना	रोड, बानमौर, नूराबाद, रिठौराकलां, माताबसैया, सरायछोला, दिमनी (मुरैना क्षेत्र), सिहोंनिया मुरैना एवं महिला थाना क्षेत्र से उत्पन्न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 से 128 तक भरण पोषण के आवेदन पत्र (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय को छोड़कर) 4– **सम्पूर्ण मुरैना तहसील** के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा 498–ए, 354 भारतीय दण्ड संहिता धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध निवारण अधिनियम एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन प्रस्तुत होने वाले समस्त आवेदन एवं समस्त कार्यवाहियों के विचारण एवं निराकरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है। 5– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण। 6. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी. पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही
5	**सुश्री अरूंधति काकोड़िया,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना म.प्र.	**आरक्षी केंद्र– स्टेशन रोड़ मुरैना**	1. आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खान एवं खनन अधिनियम, अनु.जाति अनु.जनजाति अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.) 3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी. पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।
6	सुश्री सोनाक्षी जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना	**आरक्षी केन्द्र नूराबाद**	1. आरक्षी केन्द्र नूराबाद से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खान एवं खनन अधिनियम, अनु.जाति अनु.जनजाति अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा

9			प्रकरण (एफ.आर.) 3– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।
7	सुश्री देशना जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना म.प्र.	**आरक्षी केन्द्र 1. सिविल लाईन मुरैना**	1. आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन मुरैना से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खान एवं खनन अधिनियम, अनु.जाति अनु.जनजाति अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.) 3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।
8	श्रीमती वैशाली चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना म.प्र.		1. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले प्रकरण।
9	श्री अमोल सांघी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना म.प्र.	**आरक्षी केन्द्र 1. माता बसैया 2. दिमनी (मुरैना क्षेत्र)**	1. आरक्षी केन्द्र माता बसैया से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसमें धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खान एवं खनन अधिनियम, अनु.जाति अनु.जनजाति अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.) 3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।
10	श्री भरतदीप	**आरक्षी केन्द्र :–**	1. आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी. व सिहोनिया (मुरैना क्षैत्र)

	चौरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना म.प्र.	**1. जी.आर.पी. मुरैना 2. सिहोनिया (मुरैना क्षेत्र)** **क्षेत्रान्तर्गत आरक्षी केन्द्र बानमौर मुरैना**	से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खान एवं खनन अधिनियम, अनु.जाति अनु.जनजाति अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.) 3. आरक्षी केन्द्र बानमौर के क्षेत्राधिकार के प्रस्तुत होने वाले निजी परिवाद पत्र। 4. आरक्षी केन्द्र बानमौर के अन्तर्गत आने वाले **धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम** से संबंधित प्रस्तुत समस्त परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं कार्यवाहियां। 5. कथित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने वाले **धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम** के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट। 6. आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी., सिहोनिया व बानमौर के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही। 7. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण।
तहसील अम्बाह जिला मुरैना			
12	श्रीमती पुनीता चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अम्बाह	**आरक्षी केन्द्र 1. दिमनी (अम्बाह तहसील का क्षेत्र)**	1– आरक्षी केन्द्र दिमनी (अम्बाह तहसील क्षेत्र) से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र/आवेदन पत्र, जिसमें धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केद्र के खात्मा प्रतिवेदन(एफ.आर.) 3. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही। **वन विभाग, अम्बाह** 1– तहसील अम्बाह के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं वन विभाग से उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं अन्य सभी वन संबंधि विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण, खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 व अन्य सभी

			खनन संबंधि विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण, आवेदन पत्र व समस्त प्रकार की कार्यवाहियों के विचारण एवं निराकरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है। 2— वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम से संबंधित संपूर्ण तहसील अम्बाह के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रतिवेदन (एफ0आर0) 3— वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के अन्तर्गत जारी सम्पूर्ण अम्बाह तहसील के स्थाई गिरफ्तारी वारंट तथा वन विभाग एवं खनन अधिनियम के अंतर्गत रिक्त न्यायालय द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपील न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/ निर्णय का निष्पादन। 4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय—समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण।
		3— सम्पूर्ण न्यायिक तहसील अम्बाह	1. छोटे अपराधों के अभियोग पत्र जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 में उल्लेखित 1,000/— रूपये से आनाधिक अर्थदण्ड से दंडनीय हैं, से उत्पन्न अभियोग पत्र परिवाद जो मोटरयान अधि0 से संबंधित नहीं है। 2. बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियम अधि. वाले प्रकरण 3. बांट एवं माप मानक अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण। 4— चलचित्र अधिनियम 1952 के अन्तर्गत प्रकरण। 5— खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 एवं विनियम 2011 6—मनोरंजन कर अधिनियम 1936 संशोधन अधिनियम 1942 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 7— म.प्र. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत पेश होने वाले प्रकरण। 8— मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पद्वार्थ अधिनियम—1985 की धारा 27 में गजट नोटिफिकेशन क्रमांक—09 (2001) दिनांक 09.05.01 निर्धारित की गई मात्रा के प्रकरण। 9— नगर पालिका अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 10— प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 11— प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 12— आवश्यक वस्तुत अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 13— कारखाना अधिनियम एवं आवश्यक वस्तुत

13			अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 14– ऐसे सभी कार्य जो किसी अन्य मजिस्ट्रेट को आबंटित न किया गया है। 15– अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) 16– आरक्षी केन्द्र अम्बाह, नगरा तथा दिमनी एवं पोरसा से उद्भूत होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची में वर्णित ऐसे प्रकरण जो उक्त क्षेत्र से संबंधित जनपद पंचायत/जनपद पचायतों के क्षेत्राधिकार में आते हो। 17– सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण।
13	श्रीमती सृष्टि बी.शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अम्बाह	**आरक्षी केंन्द्र** **1. नगरा** **2. आबकारी वृत्त अंबाह** **महिला बोर्ड**	1– आरक्षी केन्द्र नगरा व आबकारी वृत्त अम्बाह से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसके अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **<u>(वन अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम, ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)</u>** 2. संपूर्ण अम्बाह तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 तक भरण पोषण के आवेदन पत्र (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) 3. कथित आरक्षी केद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रतिवेदन (एफ.आर.)। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही। 5. संपूर्ण अम्बाह तहसील के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न धारा 498–ए, 354 भारतीय दण्ड संहिता धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध निवारण अधिनियम एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, आवेदन पत्र एवं समस्त कार्यवाहियां करने हेतु अधिकृत किया जाता है। 6– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण।
14	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अम्बाह,	**आरक्षी केन्द्र** **1. महुआ** **2. सिंहोनिया (अम्बाह क्षेत्र)**	1. आरक्षी केन्द्र महुआ व सिहोंनिया (अम्बाह क्षेत्र) से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र जिसके अंतर्गत धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र) **<u>(वन</u>**

			<u>अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम, ग्राम न्यायालय एवं महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)</u> 2. कथित आरक्षी केद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रतिवेदन (एफ.आर.)। 3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी. पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।
15	श्री नितिनेन्द्र सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अम्बाह,	**आरक्षी केन्द्र** **1. अंबाह** **2. पोरसा**	1– आरक्षी केन्द्र अंबाह व पोरसा से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र जिसके अंतर्गत धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **<u>(वन अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम, ग्राम न्यायालय एवं महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)</u>** 2– कथित आरक्षी केद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रतिवेदन (एफ.आर.)। 3– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी. पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।
तहसील जौरा जिला मुरैना			
16	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जौरा, जिला मुरैना	**आरक्षी केन्द्र :–** **1. सुमावली** **2. आबकारी वृत्त (जौरा तहसील क्षेत्र से संबंधित)**	1. आरक्षी केन्द्र सुमावली व आबकारी वृत्त जौरा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसके अंतर्गत धारा138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र) **<u>(महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)</u>** 2. कथित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. छोटे अपराधों के अभियोग पत्र जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–206 में उल्लेखित 1,000/–रूपये से आनाधिक अर्थदण्ड से दंडनीय हैं, से उत्पन्न अभियोग पत्र परिवाद जो मोटरयान अधिनियम से संबंधित नहीं है। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी. पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही। 5. म.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण जौरा

			तहसील क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न होने वाले एवं जौरा क्षेत्र के आबकारी वृत्त के प्रकरण। **<u>वन विभाग, जौरा</u>** 1— तहसील जौरा के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं वन विभाग से उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं अन्य सभी वन संबंधि विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण, खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 व अन्य सभी खनन संबंधि विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण, आवेदन पत्र व समस्त प्रकार की कार्यवाहियों के विचारण एवं निराकरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है। 2— वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम से संबंधित संपूर्ण तहसील जौरा के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रतिवेदन (एफ0आर0) 3— वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के अन्तर्गत जारी सम्पूर्ण जौरा तहसील के स्थाई गिरफ्तारी वारंट तथा वन विभाग एवं खनन अधिनियम के अंतर्गत रिक्त न्यायालय द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपील न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/ निर्णय का निष्पादन।
		संपूर्ण न्यायिक तहसील जौरा	1— बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण। 2— बांट एवं माप मानक अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण 3— चलचित्र अधिनियम 1952 के अन्तर्गत प्रकरण। 4— खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 एवं विनियम 2011 5. मनोरंजन कर अधिनियम 1936 संशोधन अधि. 1942 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6— म.प्र. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत पेश होने वाले प्रकरण। 7— मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पद्वार्थ अधिनियम—1985 की धारा 27 में गजट नोटिफिकेशन क्रमांक—09 (2001) दिनांक 09.05.01 निर्धारित की गई मात्रा के प्रकरण। 8— नगर पालिका अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 9— प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 10— प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 11— आवश्यक वस्तुत अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 12— कारखाना अधिनियम एवं आवश्यक वस्तुत

			अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 13– ऐसे सभी कार्य जो किसी अन्य मजिस्ट्रेट को आबंटित न किया गया है। 14– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय सोंपे जाने वाले प्रकरण।
17	सुश्री संध्या गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जौरा, जिला मुरैना	**आरक्षी केन्द्र :– बागचीनी** **महिला बोर्ड**	1. आरक्षी केन्द्र सुमावली से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र जिसके अंतर्गत धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र) **(वन अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम के क्षेत्राधिकारों को छोडकर)** 2. संपूर्ण जौरा तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 125, से 128 तक भरण पोषण के आवेदन पत्र। 3. कथित आरक्षी केद्र के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रतिवेदन (एफ.आर.)। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी. पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही। 5. संपूर्ण जौरा तहसील के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न धारा 498–ए, 354 भारतीय दण्ड संहिता धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध निवारण अधिनियम एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, आवेदन पत्र एवं समस्त कार्यवाहियां करने हेतु अधिकृत किया जाता है। 6. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण।
18	श्री महेश कुमार त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जौरा	**आरक्षी केन्द्र** **1. जौरा**	1. आरक्षी केन्द्र जौरा से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र जिसके अंतर्गत धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(वन अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम तथा महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण।

			4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।
19	श्रीमती कोमल अंजना सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जौरा	**आरक्षी केन्द्र 1. देवगढ 2. निरार 3. पहाडगढ़ (जौरा तहसील क्षेत्र से संबंधित)**	1. आरक्षी केन्द्र देवगढ़, निरार व पहाड़गढ़ (जौरा क्षेत्र) से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसके अंतर्गत धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(वन अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम तथा महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।
20	श्री गोपाल जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जौरा	**आरक्षी केन्द्र 01. कैलारस (जौरा तहसील क्षेत्र से संबंधित) 02. चिन्नौनी (जौरा क्षेत्र)**	1. आरक्षी केन्द्र कैलारस व चिन्नौनी (जौरा क्षेत्र) से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसके अंतर्गत धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(वन अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम तथा महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।
		तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना	
21	श्रीमती मिनी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सबलगढ़	**आरक्षी केन्द्र :– 1. सबलगढ़**	1. आरक्षी केन्द्र सबलगढ़ से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसके अंतर्गत धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। 2. कथित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।

		महिला बोर्ड	4. संपूर्ण सबलगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, से 128 तक भरण पोषण के आवेदन पत्र। 5. संपूर्ण सबलगढ़ तहसील के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न धारा 498—ए, 354 भारतीय दण्ड संहिता धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध निवारण अधिनियम एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, आवेदन पत्र एवं समस्त कार्यवाहियां करने हेतु अधिकृत किया जाता है। **<u>वन विभाग, सबलगढ़</u>** 1. तहसील सबलगढ़ के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं वन विभाग से उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं अन्य सभी वन संबंधि विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण, खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 व अन्य सभी खनन संबंधि विधियों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण, आवेदन पत्र व समस्त प्रकार की कार्यवाहियों के विचारण एवं निराकरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है। 2. वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम से संबंधित संपूर्ण तहसील सबलगढ़ के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रतिवेदन (एफ0आर0) 3. वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के अन्तर्गत जारी सम्पूर्ण सबलगढ़ तहसील के स्थाई गिरफ्तारी वारंट तथा वन विभाग एवं खनन अधिनियम के अंतर्गत रिक्त न्यायालय द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपील न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय का निष्पादन। 4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय—समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण।
		संपूर्ण तहसील सबलगढ़	1— छोटे अपराधों के अभियोग पत्र जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 में उल्लेखित 1,000/— रूपये से आनाधिक अर्थदण्ड से दंडनीय हैं, से उत्पन्न अभियोग पत्र परिवाद जो मोटरयान अधि0 से संबंधित नहीं है। 2— बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण तथा भारतीय वन अधिनियम 3— बांट एवं माप मानक अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण। 4— चलचित्र अधिनियम 1952 के अन्तर्गत प्रकरण। 5— खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 एवं विनियम 2011।

			6– मनोरंजन कर अधिनियम 1936 संशोधन अधिनियम 1942 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 7– म.प्र. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत पेश होने वाले प्रकरण। 8– मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पद्वार्थ अधिनियम–1985 की धारा 27 में गजट नोटिफिकेशन क्रमांक–09 (2001) दिनांक 09.05.01 निर्धारित की गई मात्रा के प्रकरण। 9– नगर पालिका अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 10– प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 11– प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 12– कारखाना अधिनियम एवं आवश्यक वस्तुत अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरण। 13– ऐसे सभी कार्य जो किसी अन्य मजिस्ट्रेट को आबंटित न किया गया है। 14– कथित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 15– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपें जाने वाले प्रकरण
22	श्री मुकेश गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सबलगढ़	**आरक्षी केन्द्र कैलारस (सबलगढ़ तहसील क्षेत्र से संबंधित)**	1. आरक्षी केन्द्र कैलारस (सबलगढ़ क्षेत्र) से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसके अंतर्गत धारा–138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(वन अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम तथा महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. माननीय सत्र न्यायाधीश मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।
23	श्री नितिन सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सबलगढ़	**आरक्षी केन्द्र** **1. आबकारी वृत्त, सबलगढ़** **2. पहाडगढ़ (सबलगढ़ क्षेत्र)**	1– आरक्षी केन्द्र आबकारी वृत्त सबलगढ़, पहाड़गढ़ (सबलगढ़ क्षेत्र) व रामपुरकलां से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसके अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखत

		3. रामपुरकलां	अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र। **(वन अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम तथा महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3. माननीय सत्र न्यायाधीश मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।
24	श्री प्रदीप कुमार परिहार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सबलगढ़	**आरक्षी केन्द्र 1. टैंटरा 2. चिन्नौनी (सबलगढ़ क्षेत्र)**	1. आरक्षी केन्द्र टैंटरा से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, जिसके अंतर्गत धारा138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के परिवाद भी सम्मिलित है, के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवदेन पत्र) **(महिलाओं से संबंधित उत्पन्न अपराधों, वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकारों को छोड़कर)** 2. कथित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार के खात्मा प्रकरण (एफ.आर.)। 3.माननीय सत्र न्यायाधीश मुरैना एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले प्रकरण। 4. कथित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकारो के एन.डी.पी.एस. प्रकरण में धारा 52–क के तहत कार्यवाही।

नोट :– माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर या राज्य शासन द्वारा किसी अधिसूचना द्वारा किसी विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है तो उसे यह कार्य विभाजन आदेश प्रभावित नहीं करेगा।

// <u>दाण्डिक कार्य विभाजन के संबंध में सामान्य निर्देश</u> //

01. मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक– फा कमांक– 17(ई)/2009/3835/21–ब (1) दिनांक 22 नबवम्बर, 2010 एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पृष्ठांकन कमांक– बी/4858/2–15–18/ 2001 जबलपुर दिनांक – 25 नवम्बर, 2010 के द्वारा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मुरैना के निर्देशन में अधिसूचना कमांक– 7 में दिये गये, निर्देशों के पालन में ग्राम न्यायालयों का कार्य दिवस प्रत्येक **<u>सप्ताह के सोमवार एवं शुकवार निर्धारित किया गया है।</u>** तदानुसार ग्राम न्यायाधिकारी कार्य करेंगे।

02. समस्त प्रकार की ई0आर0/खारिजी रिपोर्ट सम्पूर्ण जिला मुरैना के आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उदभुत होने वाले मामलों विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना के न्यायालय में एवं खात्मा रिपोर्ट प्रत्येक आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में फरियादी को सूचना पत्र देकर सामान्यतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 158 का अनुसरण करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 469 की परिसीमा काल की अवधि में अनुसंधान अधिकारी/

थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किये जावेंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी मजिस्ट्रेट को खारजी की कार्यवाही हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

03. जिन अधिनियमों का उल्लेख इस दाण्डिक प्रकरणों के कार्य विभाजन पत्रक में नहीं किया गया है। उनके तहत संबंधित प्रावधानों के अधीन रहते हुये पुलिस के अतिरिक्त अन्य विभागों या व्यक्तियों द्वारा अभियोग पत्र/परिवाद पत्र, आवेदन पत्र तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 451/457 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विचारण एवं निराकरण करने हेतु अपने आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकृत रहेंगे, जिसमें मध्यप्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 के 50 बल्क लीटर से अधिक मदिरा के प्रकरण भी शामिल है तथा श्रम एवं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मामले जिस पुलिस थाना क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुये होंगे, उसी क्षेत्राधिकार के ए.सी.जे.एम. /जे.एम.एफ.सी. के समक्ष अभियोग पत्र/परिवाद पत्र पेश किये जावेंगे।

04. पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या उपलब्ध न होने से त्वरित निराकरण के अपराध की स्वीकारोक्ति के समरी केसेस कार्यभारित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने पर वे केन्द्रीय पंजी में पंजीयन करवाकर निराकरण कर सकेंगे।

05. समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न ऐसे अभियोग पत्र, जो अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा माननीय सत्र न्यायालय मुरैना को उपार्पित किया जावेगा एवं समस्त अभिलेख माननीय सत्र न्यायालय मुरैना को भेजे जावेगें।

06. न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में कार्यभारित मजिस्ट्रेट को उनके अधिकार क्षेत्र में दांडिक प्रकरण के संज्ञान लिये जाने का अधिकार होगा और प्रकरण केन्द्रीय पंजी में ही पंजीयन कर सकेंगे।

07. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यदि वे धारा 167(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते है, तो आदेश की एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना की ओर आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

08. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक अभिलेख या आदेश प्राप्त होने पर, जो रिक्त न्यायालय से संबंधित है, उनमें माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी, जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उद्भुत हुआ है या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है तथा यदि वह पीठासीन अधिकारी अर्थात् मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ है, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उन्हीं पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा की जावेंगी।

09. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समस्त मुरैना जिले में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित करने के उपरांत चलित न्यायालय लगा सकेंगे। मुरैना जिले में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुरैना/अम्बाह/जौरा/सबलगढ़ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर ही अपने–अपने आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेगें।

10. लंबित रिमाण्ड पेपर्स से संबंधित अभियोग पत्र उन्हीं न्यायालयों में प्रस्तुत किये जायेगें, जिनके पास उपरोक्त कार्य विभाजन पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है, जब तक पृथक से अन्य आदेश न हो तथा ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेंगें।

11. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मुरैना द्वारा किसी भी न्यायालय का कोई भी प्रस्तुत प्रकरण, परिवाद पत्र व आवेदन पत्र किसी भी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में अंतरित या सुपुर्द किये जा सकेंगे।

12. ऐसे न्यायालय, जो वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा जारी गिरफ्तारी/स्थाई वारंट का निराकरण या समर्पण संबंधि आवेदन पत्र का निराकरण उन्हीं मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, जिनके समक्ष उक्त गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लंबित है तथा यदि प्रकरण अभिलेखागार में है, तब ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, जिनको संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार आवंटित है। रिक्त न्यायालय के धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम से संबंधित जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट की तामिली की दशा में संबंधित थाना क्षेत्र के आधार पर जिन मजिस्ट्रेट को वर्तमान में क्षेत्राधिकारीता आवंटित की गई है, उन्हीं के द्वारा उसमें विधिवत कार्यवाही की जावेगी। यदि स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले न्यायालय अस्तित्व में है, तब उससे संबंधित समस्त कार्यवाही उसी न्यायालय द्वारा की जावेगी।

13. लोक अदालत में प्रस्तुत किये जाने वाले दाण्डिक प्रकरण या विविध दाण्डिक प्रकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 के तहत अंतरित माने जावेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार स्थाई निरंतर लोक अदालत प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को या अन्य संशोधन आदेशानुसार आयोजित की जावेगी। जिला मुख्यालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा तहसील न्यायालयों में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा कार्यालय जिला न्यायालय द्वारा जारी आदेशानुसार संबंधित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट दाण्डिक प्रकरणों के निराकरण हेतु लोक अदालत आयोजित करने हेतु अधिकृत रहेंगे। जिला मुख्यालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर उनके प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट लोक अदालत आयोजित करेंगे।

14. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के तहत राज्य सड़क परिवहन निगम, बिना टिकट यात्रियों के विचारण हेतु नियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथा मोटरयान अधिनियम हेतु नियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त, नियत दिनांक को उनके नियत स्थान पर अथवा चलित न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई किये जावेगें।

15. म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 16(1) एवं (2) में वर्णित दाण्डिक मामले ग्राम न्यायालयों में ही संस्थित किये जावेगें। जहां ग्राम न्यायालयों का गठन हो चुका है या गठन होने की संभावना है, उन क्षेत्रों से संबंधित ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले दाण्डिक न्यायालय स्वीकार नहीं करेंगें।

16. राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम से संबंधित प्रकरणों एवं आवेदनों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार संपूर्ण मुरैना जिले के लिए **श्री निर्भय कुमार गरवा जे.एम.एफ.सी. मुरैना** को अधिकृत किया जाता है।

17. इस कार्य विभाजन आदेश में विसंगतियॉ एवं कठिनाई की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना का आदेश सर्वमान्य होगा एवं प्रशासनिक दृष्टि से कार्यविभाजन में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

18. यह कार्य विभाजन आदेश लंबित दाण्डिक प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा। सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट लंबित प्रकरणों का पूर्व आदेशानुसार विचारण एवं निराकरण करेंगें।

19. विशेष अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय के रिमाण्ड जो विशेष अधिनियम से संबंधित है, में प्रथम रिमाण्ड जे.आर./पी.आर. केवल रिमाण्ड ड्यूटि के दौरान संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकेगा तथा संबंधित प्रपत्र संबंधित माननीय विशेष न्यायालय को तत्काल भेजे जावेगे।

20. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानान्तरण पर उनके स्थान पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट

का नाम स्वतः कार्य विभाजन पत्रक में स्थापित माना जावे एवं कार्य विभाजन पत्रक अनुसार अधिकृत रूप से पूर्वानुसार कार्य करेंगें एवं उनका नाम उनके स्थान पर पढ़ा जावेगा।

21. न्यायालय में लंबित दाण्डिक निर्णीत प्रकरणों से उत्पन्न विविध कार्यवाहियॉ उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत की जावेगी। पद रिक्त होने पर प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विधि कार्यवाही पेश की जावेगी।

22. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण–पोषण का आदेश जिन न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा दिये है। वे ही उनका निष्पादन करेंगे, यदि वह न्यायालय रिक्त हो जाता है तो उत्तराधिकारी सिविल न्यायालय के मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे, उनका पद भी रिक्त होने पर प्रभार वाले मजिस्ट्रेट निराकरण करेंगें। पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने पर व कार्यभार सोंपने पर एवं नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त न्यायालय का उत्तराधिकारी मजिस्ट्रेट निष्पादन करेंगें।

23. जिला मुख्यालय से बाहर के न्यायालयों में जहां एक से अधिक मजिस्ट्रेट पदस्थ है। वे आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुये अवकाश काल में रिमाण्ड आदि कार्य हेतु रिमाण्ड का प्रपोजल पूर्व की रिमाण्ड अवधि के समाप्ति के 15 दिवस पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना को भेजेंगे, ताकि रिमाण्ड डयूटी लगायी जा सके अन्यथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड डयूटी लगायी जायेगी।

24. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा जिला मुख्यालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की सार्वजनिक अवकाश के दिनों में अतिआवश्यक दाण्डिक कार्य सम्पन्न करने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड डयूटी लगाई जावेगी। यदि उस दिन मजिस्ट्रेट को अवकाश पर जाना हो तो प्रभारी मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर उनको सूचित कर सहमति पत्र के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगें।

25. निर्वाचन से संबंधित धाराओं के अपराध के अभियोगपत्र तहसीलों में वरिष्ठ न्यायाधीश एवं जिला मुख्यालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किये जावेगें।

26. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) (क) के तहत परिवादों के संज्ञान हेतु अधिकृत एवं सशक्त किया जाता है।

27. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक–बी/1811/तीन–10–40/78 (आर्थिक अपराध), जबलपुर दिनांक–29–04–2015 के द्वारा विशेष न्यायालय का गठन किया गया है उक्त अधिसूचना द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ग्वालियर को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिला मुरैना के समस्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले निम्न अधिनियम के तहत समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र विशेष न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत किये जावेगें :–
1– केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का संख्याक–1)।
2– विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का संख्याक–20) ।
3– कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का संख्याक–1) ।
4– धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का संख्याक–22) ।
5– दानकर अधिनियम, 1958 (1958 का संख्याक–18) ।
6– आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का संख्याक–43) ।
7– सीमा शुल्क अधिनियम 1902 (1962 का संख्याक–52) ।
8– निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का संख्याक–22) ।
9– कम्पनी (लाभ अतिकर अधिनियम 1964) (1964 का संख्याक–7) ।
10– एकाअधिकार तथा अवरोषक व्यापारीक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का संख्याक–54)।
11– विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (1973का संख्याक–46)।

उपरोक्त अधिनियमों के अपराधों में पी0आर0, जे0आर0 विशेष न्यायालय ग्वालियर द्वारा ही दिया जावेगा।

28. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकार से उदभुत होने वाले मामलों के अभियोग पत्र स्वीकार करने हेतु अधिकृत किये जाते है तथा उन्हें सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने पर संबंधित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना की ओर प्रतिवेदन के साथ प्रकरण भेजने की कार्यवाही कर सकेंगे।

29. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिसूचना नं.सी/1611/III6. 3/57–ix जबलपुर दिनांक 08.04.2015 के द्वारा रेलवे सम्पत्ति अधिनियम 1966 भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त मामले की सुनवायी हेतु जे.एम.एफ.सी. (रेल्वे मजिस्ट्रेट) ग्वालियर को अधिकृत किया है। अतः अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले मुरैना जिले के समस्त प्रकरण के अभियोग पत्र/परिवादपत्र संबंधित न्यायालय में पेश किये जावेंगे।

30. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपने–अपने आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के तहत पेश किये जाने वाले आवेदनपत्रों के निराकरण हेतु अधिकृत रहेंगे।

31. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में आरोपी/आरोपीगण के विरूद्ध पूरक अभियोग पत्र संबंधित आरक्षी केंद्र द्वारा पेश करने पर पूर्व के मूल आपराधिक प्रकरण के समस्त दस्तावेज की छायाप्रति पूरक अभियोग पत्र के साथ विचारण न्यायालय में पेश किये जावेंगें

32. धारा 176 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी न्यायिक जॉच **बानमौर** की जॉच **श्री निर्भय कुमार गरवा** न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य संबंधित थानों के क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट जॉच करेंगे उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच करेंगे।

33. **दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164** के अधीन साक्षीगण एवं अभियुक्तों के कथन निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा लेखबद्ध किये जावेगें तथा संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति की दशा में उनके प्रभार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा कथन लेखबद्ध किये जायेगे।

जिला मुख्यालय मुरैना

क्रं.	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
01.	सिटी कोतवाली मुरैना	सुश्री सोनाक्षी जोशी	सुश्री अरूंधती काकोड़िया	सुश्री देशना जैन
02.	सिविल लाईन मुरैना	श्री मनीष कुमार पारीक	श्री अमोल सांघी	श्री निर्भय कुमार गरवा
03.	सरायछौला, महिला थाना, रिठौराकला	सुश्री अरूंधती काकोड़िया	सुश्री देशना जैन	श्री भरत दीप चौरसिया
04.	स्टेशन रोड़,	सुश्री देशना जैन	श्री भरतदीप चौरसिया	श्री अमोल सांघी
05.	बानमौर, नूराबाद	श्री भरतदीप चौरसिया	श्री मनीष कुमार पारीक	श्रीमती देशना जैन

06.	जी.आर.पी., माताबसैया	श्री निर्भय कुमार गरवा	सुश्री सोनाक्षी जोशी	श्री मनीष कुमार पारीक
07.	दिमनी, **अजाक,** सिहोंनिया,	श्री अमोल सांघी	श्री निर्भय कुमार गरवा	श्रीमती वैशाली चौरसिया
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना				
08.	अम्बाह पोरसा	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया	श्रीमती पुनीता चौहान	श्रीमती सृष्टि बी शाह
09.	नगरा	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया	श्री नितिनेन्द्र सिंह	श्रीमती पुनीता चौहान
10.	महुआ सिहोनिया	श्रीमती पुनीता चौहान	श्रीमती सृष्टि बी. शाह	श्री नितिनेन्द्र सिंह
11.	दिमनी	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया	श्री नितिनेन्द्र सिंह	श्रीमती सृष्टि बी. शाह
तहसील जौरा, जिला मुरैना				
12	जौरा	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी	श्रीमती कोमल अंजना सिहं	श्री गोपाल जाटव
13.	कैलारस	श्री महेश कुमार त्रिपाठी	श्रीमती कोमल अंजना सिहं	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी
14.	बागचिनी	श्री गोपाल जाटव	श्री महेश कुमार त्रिपाठी	श्रीमती कोमल अंजना सिहं
15.	पहाड़गढ़	श्री गोपाल जाटव	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी	श्री महेश कुमार त्रिपाठी
16.	सुमावली	श्रीमती कोमल अंजना सिंह	श्री महेश कुमार त्रिपाठी	श्री गोपाल जाटव
17.	चिन्नौनी	श्रीमती कोमल अंजना सिंह	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी	सुश्री संध्या गर्ग
18.	निरार	श्री महेश कुमार त्रिपाठी	श्री गोपाल जाटव	सुश्री संध्या गर्ग
19.	देवगढ़	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी	श्री गोपाल जाटव	श्री महेश कुमार त्रिपाठी
तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना				
20.	रामपुरकला	श्री मुकेश गुप्ता	श्री प्रदीप कुमार परिहार	श्रीमती मिनी गुप्ता
21.	चिन्नौनी	श्री मुकेश गुप्ता	श्री नितिन सोनी	श्रीमती मिनी गुप्ता
22.	सबलगढ़	श्री नितिन सोनी	श्री प्रदीप कुमार परिहार	श्री मुकेश गुप्ता
23.	टैंटरा	श्री नितिन सोनी	श्रीमती मिनी गुप्ता	श्री प्रदीप कुमार परिहार
24.	कैलारस	श्री प्रदीप कुमार परिहार	श्री नितिन सोनी	श्रीमती मिनी गुप्ता

25.	पहाड़गढ़	श्री प्रदीप कुमार परिहार	श्रीमती मिनी गुप्ता	श्री मुकेश गुप्ता

34. न्यायिक जिला मुरैना के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने या कर्तव्य पर अनुपस्थिति रहने की दशा में, जिनका नाम कॉलम नंबर **01** में अंकित है, उनके द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा में कॉलम नंबर **02** में वर्णित तथा उनकी अनुपस्थिति में कॉलम नंबर **03** में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक दाण्डिक कार्य का सम्पादन कर सकेंगे। यदि कॉलम नंबर **03** में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट भी अनुपस्थित है, तो कॉलम नंबर **03** में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के भारसाधक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्रमवार अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन किया जावेगा।

जिला मुख्यालय – मुरैना

क्र.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम/पदनाम**	**कार्यभारित पीठासीन अधिकारी का नाम/पदनाम**		
		कॉलम नंबर 01	**कॉलम नंबर 02**	**कॉलम नंबर 03**
1.	पुंजिया बारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना	श्री मनीष कुमार पारीक जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्रीमती नुरून निशाअंसारी जे.एम.एफ.सी. मुरैना	सुश्री सोनाक्षी जोशी, जे.एम.एफ.सी.मुरैना
2	श्री निर्भय कुमार गरवा जे.एम.एफ.सी. मुरैना	सुश्री सोनाक्षी जोशी, जे.एम.एफ.सी.मुरैना	श्री भरत दीप चौरसिया जे.एम.एफ. सी. मुरैना	श्री मनीष कुमार पारीक जे.एम.एफ.सी. मुरैना
3	श्री मनीष कुमार पारीक जे.एम.एफ.सी. मुरैना	सुश्री अरूंधती काकोड़िया, जे.एम.एफ.सी. मुरैना	सुश्री सोनाक्षी जोशी जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्री भरत दीप चौरसिया जे.एम.एफ. सी. मुरैना
4	श्रीमती नुरून निशा अंसारी जे.एम.एफ.सी. मुरैना	सुश्री देशना जैन जे.एम.एफ.सी. मुरैना	सुश्री अरूंधती काकोड़िया जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्रीमती वैशाली चौरसिया जे.एम.एफ.सी. मुरैना
5	सुश्री अरूंधती काकोड़िया जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्रीमती नुरून निशा अंसारी जे.एम.एफ.सी. मुरैना	सुश्री देशना जैन जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्री निर्भय कुमार गरवा जे.एम.एफ.सी. मुरैना
6	सुश्री सोनाक्षी जोशी जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्री निर्भय कुमार गरवा जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्री भरतदीप चौरसिया अंसारी जे.एम.एफ.सी. मुरैना	सुश्री देशना जैन जे.एम.एफ.सी. मुरैना
7	सुश्री देशना जैन जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्रीमती वैशाली चौरसिया जे.एम.एफ. सी. मुरैना	श्री अमोल सांघी जे.एम.एफ.सी.मुरैना	सुश्री अरूंधती काकोड़िया, जे.एम.एफ.सी. मुरैना
8	श्रीमती वैशाली चौरसिया जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्री अमोल सांघी जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्री मनीष कुमार पारिक जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्रीमती देशना जैन जे.एम.एफ.सी. मुरैना
9	श्री अमोल सांघी जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्री भरतदीप चौरसिया जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्री निर्भय कुमार गरवा जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्रीमती नुरून निशा अंसारी जे.एम.एफ.सी. मुरैना
10	श्री भरत दीप चौरसिया जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्रीमती देशना जैन जे.एम.एफ.सी. मुरैना	श्री अमोल सांघी जे.एम.एफ.सी.मुरैना	सुश्री अरूंधती काकोड़िया जे.एम.एफ.

				सी. मुरैना
11	श्रीमती शिखा अग्रवाल प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड मुरैना	श्रीमती हेमलता राणा सदस्य	श्री घनश्याम दंडोतिया सदस्य	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरैना
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना				
12	सुश्री पुनीता चौहान जे.एम.एफ.सी. अम्बाह	श्रीमती सृष्टि बी. शाह जे.एम.एफ.सी. अम्बाह	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया जे.एम.एफ. सी. अम्बाह	श्री नितिनेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी. अम्बाह
13	श्रीमती सृष्टि बी. शाह जे.एम.एफ.सी. अम्बाह	सुश्री पुनीता चौहान जे.एम.एफ.सी. अम्बाह	श्री नितिनेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी. अम्बाह	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया जे.एम.एफ. सी. अम्बाह
14	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया जे.एम.एफ.सी. अम्बाह	श्री नितिनेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी. अम्बाह	सुश्री पुनीता चौहान जे.एम.एफ.सी. अम्बाह	श्रीमती सृष्टि बी. शाह जे.एम.एफ.सी. अम्बाह
15	श्री नितिनेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी. अम्बाह	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया जे.एम.एफ.सी. अम्बाह	श्रीमती सृष्टि बी. शाह जे.एम.एफ.सी. अम्बाह	सुश्री पुनीता चौहान जे.एम.एफ.सी. अम्बाह
तहसील जौरा, जिला मुरैना				
16	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी. जौरा	सुश्री संध्या गर्ग, जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्री गोपाल जाटव जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्रीमती कोमल अंजना सिंह, जे.एम.एफ.सी. जौरा
17	सुश्री संध्या गर्ग, जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्रीमती कोमल अंजना सिंह, जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्री गोपाल जाटव जे.एम.एफ.सी. जौरा
18	श्री महेश कुमार त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्री गोपाल जाटव जे.एम.एफ.सी. जौरा	सुश्री संध्या गर्ग, जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्रीमती कोमल अंजना सिंह, जे.एम.एफ.सी. जौरा
19	श्रीमती कोमल अंजना सिंह, जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्री गोपाल जाटव, जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी. जौरा	सुश्री संध्या गर्ग, जे.एम.एफ.सी. जौरा
20	श्री गोपाल जाटव, जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्री महेश कुमार त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्रीमती कोमल अंजना सिंह, जे.एम.एफ.सी. जौरा	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी. जौरा
तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना				
21	श्रीमती मिनी गुप्ता जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़	श्री नितिन सोनी, जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़	श्री प्रदीप कुमार परिहार जे.एम.एफ.सी.	श्री मुकेश गुप्ता जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़
22	श्री मुकेश गुप्ता जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़	श्री प्रदीप कुमार परिहार जे.एम.एफ.सी.	श्री नितिन सोनी, जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़	श्रीमती मिनी गुप्ता जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़

		सबलगढ़		
23	श्री नितिन सोनी, जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़	श्री मुकेश गुप्ता जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़	श्री प्रदीप कुमार परिहार जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती मिनी गुप्ता, जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़
24	श्री प्रदीप कुमार परिहार जे.एम.एफ.सी. सबलगढ़	श्रीमती मिनी जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़	श्री नितिन सोनी, जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़	श्री मुकेश गुप्ता जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़

(पुंजिया बारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र)

श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मुरैना की ओर अनुमोदित किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक– /सीजेएम/2023 मुरैना, दिनांक– 10.04.2023

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1– माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोद्य, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

2– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोद्य, मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

3– माननीय ....विशेष/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/पष्ठम/सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, मुरैना/अम्बाह/जौरा/सबलगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4– कलेक्टर, मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

5– पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं समस्त अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों तथा आरक्षी केन्द्रों को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

6– श्री निर्भय कुमार गरवा/श्रीमती शिखा अग्रवाल/श्री मनीष कुमार पारीक/सुश्री नुरून निशा अंसारी/सुश्री अरूंधती काकोड़िया/सुश्री देशना जैन/श्रीमती वैशाली चौरसिया/सुश्री सोनाक्षी जोशी/श्री भरत दीप चौरसिया/श्री अमोल सांघी जे.एम.एफ.सी मुरैना, सुश्री पुनीता चौहान/श्रीमती सृष्टि बी.शाह/श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया/श्री नितिनेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी. अम्बाह, सुश्री सुषमा उपम्मन/सुश्री संध्या गर्ग/श्री महेश कुमार त्रिपाठी/श्रीमती कोमल अंजना सिंह/श्री गोपाल जाटव, जे.एम.एफ.सी. जौरा, श्रीमती मिनी गुप्ता/श्री मुकेश गुप्ता/श्री नितिन सोनी/श्री प्रदीप कुमार परिहार जे.एम.एफ.सी.सबलगढ़ जिला–मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

7– क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8– डिवीजनल फॉरेस्ट आफीसर, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं अधीनस्थ वन अधिकारियों को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

9– जिला आबकारी अधिकारी, मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं समस्त अधीनस्थ अधिकारियों एवं निरीक्षकों को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

10– नगर निगम कमिश्नर एवं नगरपालिका अधिकारी मुरैना, की ओर सूचनार्थ एवं अधीनस्थ

अधिकारियों / निरीक्षको को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

11— जिला लोक अभियोजक अधिकारी मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

12— सहायक अभियोजक अधिकारी अम्बाह / जौरा / सबलगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

13— अध्यक्ष, अभिभाषक संघ मुरैना / अम्बाह / जौरा / सबलगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14— सांख्यकी लिपिक मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(पुंजिया बारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र)